ग्राम पंचायत, कोहबाग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग—एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोहबाग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति आशा चौहान	1.4.13 से 22.1.16
2	कुमारी मधुबाला	23.1.16 से लगातार

सचिव

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रूप राम	1.4.13 से 4.3.16
2	श्रीमति सोनिया शर्मा	5.3.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :— ग्राम पंचायत कोहबाग के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि{लाखों में}
1	**5 (ख)**	रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	**1.18**
2	**9**	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.25**
3	**10**	13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	**3.35**
4	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	**5.25**

5	**14(ग)**	मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से अधिक भुगतान करना	**0.07**
6	**14(घ)**	ठेकेदार से संवैधानिक कटौतियाँ न करना	**0.11**
7	**14(ड़)**	क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान	**0.02**

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत कोहबाग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 2.7.2016, 4.7.16 व 5.7.2016 को ग्राम पंचायत, कोहबाग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 1/14, 3/15, 1/16 व 9/13, 12/14, 7/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत कोहबाग विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹ 6000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 5.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत कोहबाग से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत कोहबाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –1** पर संलग्न है

(क) स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत कोहबाग के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोतों **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	–––	58498	58498	29439	29059
2014–15	29059	177803	206862	27773	179089
2015–16	179089	156141	335230	50145	285085

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत कोहबाग के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता "ख")** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	620381.41	1439890	2060271.41	1058505	1001766.41
2014–15	1001766.41	2293542	3295308.41	2095845	1199463.41
2015–16	1199463.41	1564218	2763681.41	1695458	1068223.41

अनुदानों का विस्तृत विवरणः–

अनुदान का नाम	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
विविध अनुदान	2013–14	613752.41	959370	1573122.41	789683	783439.41
	2014–15	783439.41	937019	1720458.41	732392	988066.41
	2015–16	988066.41	1332248	2320314.41	1263645	1056669.41

अनुदान का नाम	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
मनरेगा	2013–14	6629	163173	169802	162986	6816
	2014–15	6816	477271	484087	465448	18639
	2015–16	18639	228142	246781	239940	6841

अनुदान का नाम	**वर्ष**	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
वाटर शैड	2013–14	0	317347	317347	105836	211511
	2014–15	211511	879252	1090763	898005	192758
	2015–16	192758	3828	196586	191873	4713

5 **रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

(क) ग्राम पंचायत कोहबाग की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है।

(ख) बैक समाधान विवरणी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, कोहबाग द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹118529.84 का अन्तर था।

कम सं0	**खाता**	**अन्तशेष**
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''—पैरा 4(1)	**285085.00**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''—पैरा 4(2)	**1068223.41**
	कुल योग	**1353308.41**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2)		**1471838.25**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)		**118529.84**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) मनरेगा की रोकड वही का न लिखा जाना

ग्राम पंचायत कोहबाग की मनरेगा की रोकड वही के अवलोकन करने पर पाया गया कि माह 9/15 से इसे लिखा नहीं जा रहा है, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार रोकड वही को तैयार किया जाना अनिवार्य था। इस समबन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव को मौखिक रूप से कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया। सचिव ग्राम पंचायत ने मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि मनरेगा से

सम्बन्धित भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके कारण रोकड वही को नहीं लिखा गया। ग्राम पंचायत का मौखिक उत्तर उक्त नियम के अनुसार उचित नहीं है। अतः उक्त रोकड वही को 9/15 के उपरान्त लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

6 **निवेश** सचिव ग्राम पंचायत, कोहबाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 **वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना**

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत कोहबाग की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत कोहबाग के लेखों की पड़ताल में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम के विरूद्व की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई :–

(i) पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जोकि नियम के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) लैजर खातों का निर्माण न करनाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत कोहबाग में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु लैजरों का निर्माण न करने से इस नियम की अवहेलना है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमों के विरूद्व 12 बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता

''क'' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत कोहबाग में दो के स्थान पर **(परिशिष्ट –2)** में वर्णित 12 बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत, कोहबाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹25455** की वसूली शेष थी।

(क) सम्पति कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	——	9900	9900	6995	2905
2014–15	2905	9900	12805	3400	9405
2015–16	9405	11250	20665	150	**20505**

(ख) दुकान का किराया/बैंक किराया

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	5350	27000	32350	12850	19500
2014–15	19500	111000	130500	130500	——
2015–16	——	111000	111000	106050	**4950**
		कुल योग (1+2)			**25455**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

10 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹3.35 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की **₹**335543 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.25 लाख के स्टाक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹525591 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य

था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	——	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)(ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विविध अनियमितताएः—

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 12/14 में वाटर शैड के विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमान, प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, व्यय स्वीकृति, माप पुस्तिकाऐं और कार्य की समाप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। लेखा परीक्षा को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि उक्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा के कार्यालय में है। अतः उक्त वाटर शैड के अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसके मूल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा किये गये कार्य मूल्य बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को

किये गये भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम अनुसार बढ़ौतरी कर आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य के मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों को किये गये भुगतान व उनके द्वारा किया गया कार्य ₹7516 से कम हो गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने के कारण को स्पष्ट किया जाये व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) ठेकेदार से ₹11520 की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभुति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौती जोकि निम्न विवरणानुसार **₹11520** बनती है, ठेकेदार से नहीं की थी।

Sr. No	Bill / Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	263 dt 17-6-13	9/13	C/O Road Gunna Ra Ghat to Shamshanghat.	Sh. Rajesh Sharma Village Janol P.O. Rouri Distt. Shimla	76800
प्रतिभुति राशि 10 %					7680
विकी कर 2 %					1536
आयकर 2 %					1536
लेबर सैस 1 %					768
			कटौतियों की कुल राशि		**11520**

अतः ठेकेदार के भुगतान बिल से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाय तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करना सुनिश्चित किया जाए।

(ड़) कय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹2848 का अधिक भुगतान

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री कय की गयी, उस पर 10एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जोकि **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है के अनुसार बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹2848 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(च) पंचायत द्वारा सम्बन्धित व्यकित के स्थान अन्य को ₹1.74 लाख का भुगतान करना

पंचायत द्वारा चयनित माह 12/14 में ₹174000 का भुगतान श्री दिला राम चौहान को चैक बुक फोलियो द्वारा किया गया दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

कम सं0	**चैक सं0**	**दिनांक**	**राशि**	**खाता सं0**	**बैंक का नाम**	**रोकड वही पृष्ठ सं0**	**विवरण**
1	828468	27.1214	36000	24149	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला कोहबाग	14	चैक श्री नरेश के नाम से दिनांक 31.12.14 को भुनाया गया।
2	828470	27.12.14	42000	–यथो–	–यथो–	14	–यथो–
3	828466	27.12.14	48000	–यथो–	–यथो–	14	–यथो–

नोटः– उपरोक्त तीनों चैकों की राशि को श्री हेम राज, उप प्रधान को तीन पृथक–पृथक रसीदों द्वारा प्राप्त भी किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** पर संलग्न हैं।

4	828463	11.12.14	42000	–यथो–	–यथो–	13	चैक श्री नरेश के नाम से दिनांक 31.12.14 को भुनाया गया।
5	828464	11.12.14	6000	–यथो–	–यथो–	13	–यथो–

उक्त राशि का भुगतान श्री दिला राम चौहान को किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उक्त वर्णित स्थिति के अनुसार उक्त राशि का भुगतान श्री नरेश व श्री हेम राज, उप प्रधान को किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान संदेहजनक प्रतीत होता है जिसका औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

(छ) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है, प्राप्त क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका की किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई ।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 10/2016–खण्ड–1–4576–4579 दिनाँकः29.08.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कोहबाग, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–5

1. स्वःस्त्रोत व विविध अनुदानः

Sr. No	Bill /Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	70	9/13	Paints etc.	M/S S.K. Thakur Traders	3410
2	Nil	9/13	400 cft stone & carriage	Sh. Payare Lal	6000
3	263	9/13	C/O Road Gunna Ra Ghat to Shamshanghat.	Sh. Rajesh Sharma Village-Janol, P.O. Rouri Distt. Shimla.	76800
4	Nil	9/13	Carpets 6x28	Ashiana Furnishers Shop No.6 Sharma complex B.C.S. New Shimla.	3350
5	Nil	9/13	2 Nos. celling Fans	----	2500
6	9007	7/15	Steel etc.	Sanjay Raders Dhami Distt. Shimla.	25000
7	353	7/15	Letter pad etc.	Munish Book Binding House.	3180
8	500	7/15	Sand 110 cft	Sh. Dila Ram	11000

			Grit 110 cft	Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	
9	134	7/15	Angal door etc.	Sanjay Raders Dhami Distt. Shimla.	16115
10	180	7/15	Window etc.	Sanjay Raders Dhami Distt. Shimla.	16138
11	167	7/15	Cement sheet Angal etc.	Sanjay Raders Dhami Distt. Shimla.	3970
12	499	7/15	Sand 150 cft	Sh. Dila Ram Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	6000
13	511	7/15	Stone 87 cft	Sh. Dila Ram Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	1740
14	512	7/15	Sand 115 cft	Sh. Dila Ram Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	4600
15	513	7/15	Grit 325.68 cft	Sh. Dila Ram Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	8142
16	432	7/15	Bricks 3600 No.	Sh. Dila Ram Chauhan P.O. Kalihatti Distt. Shimla.	25200
17	119	7/15	Angal etc.	Sanjay Raders Dhami Distt. Shimla.	6470
2. मनरेगा					
18	186	9/13	Sand 120cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	4000
19	68	9/13	78cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	2600

20	160	9/13	Sand	M/S Santosh Kumar Nehra, Shimla	9344
21	69	9/13	Sand	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	9097
22	104	9/13	Sand 356 cft	M/S Munjula Good Carrier Ghanahatti, Shimla	12447
3. Water Shed:					
23	438	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
24	439	12/14	Shutring etc.	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	42000
25	426	12/14	Cement carriage	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	13500
26	445	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
27	443	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
28	449	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
29	448	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
30	446	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
31	482	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
32	478	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti,	8000

				Shimla	
33	471	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
34	481	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
35	479	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
36	477	1214	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
37	465	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
38	464	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
39	463	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
40	457	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
41	467	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
42	470	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
43	466	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
44	6463	12/14	Steel 2.038 Qtl.	M/S Sanjay Traders Dhami, Shimla	9490
45	6466	12/14	Steel 2.982 Qtl.	M/S Sanjay Traders Dhami, Shimla	13886

46	6543	12/14	Steel 2.064 Qtl.	M/S Sanjay Traders Dhami, Shimla	9612
47	442	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
48	435	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
49	437	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
50	440	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
51	441	12/14	Sand 160 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	8000
52	419	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
53	447	12/14	Sand 150 cft	M/S Dila Ram Chauhan Kali Hatti, Shimla	6000
Total					**525591**

…